Mail id
mittal... hin@gov.in
abhishek.singh87@gov.in

For Office Use Only

Ministry of Health & Family Welfare

Meta Data for Documents

Name of Division:

S.no	Item	Information to be Displayed
1.	Document title to be displayed on website	Recruitment Rules for the Post of Laboratory Assistant Grade-I and II in the NVBDCP
2.	Division/Autonomous Body (Contact E-mail-id)	VBD Section
3.	Language (English)	English & Hindi
4.	Form of Document (e.g. pdf,doc,xls) (zip format not allowed)	DOC
5.	Reference URL or Detailed PDF	
6.	Validity	30 days.
7	Name & Email-Id of Sender	
8	Section of Website, where it is to be uploaded	Programme/Reports/News & Highlights/Key Developments/Disease Alerts/Events & Announcements/Vacancies

- **It is Certified that the Content have been Checked . The Content need to be following (kindly tick the appropriate option):**
  1. New [ ]
  2. Update [ ]
  3. Delete [ ]

Signature: B Prasad 14/10
Name of Nodal Officer: Baidyanath Prasad
Designation: Under Secretary
Email-id: baityanath.prasad@nic.in
Contact No: 23061510

Contents Approved by (JS/AS)

Signature: [signature] 22/10/20
Name:
Designation: JS/AS
Email-id:
Contact No:

(रेखा शुक्ला)
(REKHA SHUKLA)
संयुक्त सचिव
Joint Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & F.W.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

For Uploading on Website

Level 1:

Level 2:

Level 3:

Level 4:

(Signature of Web Information Manager)

Uploaded on:

Uploaded by:

फा.सं. 1-77/2019/प्रशा-I/एफटीएस सं. 8020927

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(वीबीडी अनुभाग)

विषयः राष्ट्रीय वेक्टर जनित्र रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में प्रयोगशाला सहायक पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर आम सूचना।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी.14017/16/2008-स्था (आरआर) की अनुपालना में राष्ट्रीय वेक्टर जनित्र रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-I और ग्रेड-II पद के लिए भर्ती नियम में शामिल मसौदा अधिसूचना सलंग्न है।

2. स्टेकहोल्डर मसौदा भर्ती नियमों में किसी प्रकार का आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव देने के इच्छुक है तो मसौदा भर्ती नियम के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि में श्री वैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं. 753-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड़, नई दिल्ली 110011 या ई-मेल पते baidyanath.prasad@nic.in and sovbdhfw@gmail.com. पर लिखित पर भेज सकतें है।

(वैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव भारत सरकार
दूरभाष. 23061510

नई दिल्ली

[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 2020

सा.का.नि.................. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 1980 का, जहां तक प्रयोगशाला सहायक/जूनियर तकनीशियन विशेषज्ञ पद का संबंध हैउन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-I और ग्रेड-II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रयोगशाला सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 कहा जाएगा।
   (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल**- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता**- वह व्यक्ति-
   क. जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या
   ख. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हैया विवाह का अनुबंध किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**– जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा/तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-I	34* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का लेवल- V (रु. 29200-92300रु.)	अचयन	18-27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)।	अनिवार्य: साइंस में स्नातक वांछनीयः (i).किसी सरकारी मान्यताप्राप्त मेडीकल / बायलोजिकल लैबोरेटरीसे एक वर्ष का अनुभव (ii)कम्प्यूटर का ज्ञान	नहीं	दो वर्ष सीधी भर्ती के मामले में	(i)50% प्रोन्नति द्वारा (ii)50% सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना और /या स्थायीकरण ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
वेतन-मैट्रिक्स के वेतन- लेवल-4 में प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-II में से प्रोन्नति द्वारा जो 5 वर्ष की नियमितसेवा रखते है	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और/ या स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होगें : 1. सयुंक्त निदेशक / उप-निदेशक याराष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय-अध्यक्ष 2. उप-निदेशक / स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या महानिदेशालय का दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित कोई अन्य संस्थान-सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित्त रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय- सदस्य	लागू नहीं

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा/तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-II	37* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का लेवल- IV (रु.25500-81100 रु.)	अचयन	18-27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)।	अनिवार्य: साइंस में स्नातक वांछनीयः (i).किसी सरकारी मान्यताप्राप्त मेडीकल / बायलोजिकल लैबोरेटरीसे एक वर्ष का अनुभव (ii)कम्प्यूटर का ज्ञान	नहीं	दो वर्ष सीधी भर्ती के मामले में	(i)50% प्रोन्नति द्वारा (ii)50% सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना और /या स्थायीकरण।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
वेतन-मैट्रिक्स के वेतन- लेवल-2 में कीट संग्रहणकर्ताओं में से प्रोन्नति द्वारा जो ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा रखते है	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और/ या स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होगें : 1. सयुंक्त निदेशक / उप-निदेशक याराष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय-अध्यक्ष 2. उप-निदेशक / स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या महानिदेशालय का दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित कोई अन्य संस्थान-सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित्त रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय- सदस्य	लागू नहीं

फा.सं. 1-77/2019/प्रशा-I

(वैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार